प्रतिभा खोज समिति (खेल–कूद कोटा सिपाही भर्ती–2018)
पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस, का कार्यालय, बिहार, पटना।
(पंत भवन, चतुर्थ तल्ला, बेली रोड, पटना–800001)
Website: www.biharpolice.bih.nic.in

विज्ञापन संख्या– 02/2018.

1. **विभाग** :– बिहार पुलिस, गृह (आरक्षी) विभाग।

2. **पद का नाम** :– सिपाही,

3. **रिक्ति** :– 100 (एक सौ)

कोटि	अना0	अना0 (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अत्यन्त पि0व0	अत्यन्त पि0व0 (महिला)	अनु0 जाति	अनु0 जाति (महिला)	अनु0 ज0जाति	अनु0 ज0जाति (महिला)
रिक्तियों की संख्या	33	17	8	7	11	7	10	6	1	0

4. **आवेदन करने की प्रारंभ तिथि** :– 29.01.2018.

5. **आवेदन करने की अंतिम तिथि**:– 28.02.2018.

7. **अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता** :– इंटरमिडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

8. **प्रवेश हेतु सेवा संवर्गः**– 1. सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए प्रवेश स्तर सिपाही संवर्ग होगा, यथा

(i) स्पोर्ट्स कोटा के अन्तर्गत नियुक्त खिलाड़ी 40 वर्ष की आयु सीमा तक खेल के क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे।

(ii) 40 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद वैसे खिलाड़ी जो NIS के डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग (14 माह कोर्स) में उत्तीर्ण हों उन्हें प्रशिक्षक के रूप में चयनित होने पर खेल प्रशिक्षक का कार्य करेंगें।

(iii) वैसे खिलाड़ी पुलिस कर्मी, जो प्रशिक्षक के रूप में चयनित न हों, विद्यमान रिक्ति के विरूद्ध अपने समकक्ष संवर्ग में समायोजित किये जायेंगें।

9. **शुल्क** :– स्पोर्ट्स कोटा के अन्तर्गत सिपाही पद पर चयन हेतु **सामान्य कोटि, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 450/– (चार सौ पचास) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 110/– (एक सौ दस) रूपये निर्धारित है,** जो **इन्डियन पोस्टल आर्डर (आई0पी0ओ0)** के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस–सह–अध्यक्ष, प्रतिभा खोज समिति, (स्पोर्ट्स कोटा सिपाही भर्ती) बिहार, पटना के नाम से देय होगा।

10.खेल–कूद का मानदंड :– अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड/इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन/इन्टरनेशनल ओलंपिक कमिटी के द्वारा अनुमोदित खेल–कूद एवं गेम्स की निम्नलिखित कोटि में नियुक्ति की जाएंगी :–
1. बास्केट बॉल 2. फुटबॉल 3. हॉकी 4. वॉलीबॉल 5. हैण्डबॉल 6. कबड्डी 7. कुश्ती 8. मुक्केबाजी 9. एथलेटिक्स 10. भारोत्तोलन 11. जल क्रीड़क (एक्वेटिक्स) 12. घुड़सवारी 13. जिमनास्टिक 14. जूडो 15. तीरंदाजी 16. शूटिंग 17. तायक्वांडो।

11. भर्ती के लिए अर्हत्ताएँ एवं निश्चायक अंक :– नियुक्ति के लिए विज्ञापन – प्रकाशन वर्ष के पूर्ववर्त्ती दो कलैंडर वर्ष 2016 एवं 2017 की खेल अवधि की उपलब्धियाँ विचारणीय होगी। खिलाड़ियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिए जाएंगे :–

1. खिलाड़ियों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त करने पर – **35 अंक** अथवा भाग लेने पर– **32 अंक**

2. राज्य का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अन्तर्राज्यीय/अन्तर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर– **25 अंक** अथवा ऐसे खेल–कूद में भाग लेने पर– **14 अंक**

3. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त करने या जिला/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर – **10 अंक** विनिश्चित किये जाएंगे।

उम्मीदवार उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम एक–एक प्रतियोगिता में ही भाग लेने अथवा पदक जीतने का दावा प्रस्तुत कर सकते है। इससे अधिक नहीं। आवेदन पत्र में उल्लखित प्रतियोगिता में जिस हेतु उम्मीदवार द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया हो, चयन प्रक्रिया के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

12. चयन प्रक्रिया :– 1. पुलिस महानिदेशक, बिहार की अध्यक्षता में गठित विशेष खेल समिति द्वारा प्रतिभा खोज समिति की अनुशंसा पर सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति की जायेगी।

2. खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए **कोई लिखित परीक्षा संचालित नहीं की जायेगी।** प्रमाण पत्रों के जाँचोपरांत सक्रिय खिलाड़ी चयन परीक्षण (Selection Trail) में भाग लेंगे। चयन परीक्षण (Selection Trail) उम्मीदवारों के खेल कूद कौशल, शारीरिक/स्वास्थ्य उपयुक्तता, खेल–कूद में उनके भावी पहलुओं का निर्धारण करेगी। सभी ऐसा परीक्षण प्रतिभा खोज समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों की उपस्थिति में संचालित किया जायेगा।

3. अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

(i) पूर्व खेल–कूद उपलब्धि का निर्धारण – 70 (सत्तर अंक)

(ii) चयन परीक्षणों के दौरान निर्धारण – 30 (तीस अंक)

कुल प्राप्तांक 100 के विरूद्ध न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र माने जायेंगे। पात्र अभ्यर्थियों से नियुक्ति के लिए नियुक्ति के सिद्धान्त इस प्रकार अंगीकार किया जायेगा जिससे कि उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सके। केवल 60 अंक प्राप्त कर लेना नियुक्ति की गारन्टी नहीं होगी।

4. **शारीरिक योग्यता** –

क्र0	पद	उँचाई (से0मी0 में)	छाती (से0मी0 में)	
			सामान्य	फुलाकर
1	सिपाही (पुरूष)	165	81	86
2	अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के सिपाही (पुरूष) के उम्मीदवार	162	81	86
3	सिपाही (महिला) के उम्मीदवार	155	–	–
4	अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के सिपाही (महिला) के उम्मीदवार	152	–	–

5. समय–सीमा – खेल–कूद कोटा के लिए पात्रता खेल–कूद (गेम्स/इभेन्ट्स) में उनकी पूर्व उपलब्धि होगी जो नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन वर्ष के पूर्ववर्ती दो वर्ष 2016 एवं 2017 के भीतर **अनुमोदित सूची** में पायी गयी हो। फिर भी **उत्कृष्ट कोटि** के खिलाड़ियों के मामले में इस सीमा में तीन वर्ष तक की छूट देने का अधिकार विशेष खेल–कूद समिति को होगा जो प्रतिभा खोज समिति की अनुशंसा पर निर्णय लेगी।

"**उत्कृष्ट कोटि** के खिलाड़ी के रूप में, मात्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे पदक विजेता अथवा भाग लेने वाले खिलाड़ी की ही गणना की जायेगी।"

6. यथानियत मानदंड के आधार पर अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक चयन परीक्षणों के बाद ही सार्वजनिक किया जायेगा। परिणाम के प्रकाशन के एक सप्ताह के बाद विशेष खेल–कूद समिति के समक्ष उपर्युक्त नियत अंकों के विरूद्ध अपील दायर किया जा सकेगा। प्राप्त अपील पर विशेष खेल कूद समिति के अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई अपील ग्रहण नहीं किया जायेगा।

13. उम्मीदवारी हेतु उम्र सीमा :– सिपाही के पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष (दिनांक–01.01.2018 को) एवं अधिकतम 23 वर्ष होगी। प्रतिभावान एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंध में प्रतिभा खोज समिति ही उम्र में अधिकतम 2 वर्षो, उँचाई में अधिकतम 10 सें0मी0 एवं छाती का माप में पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 10 से0मी0 की शिथिलीकरण की अनुशंसा आवश्यकतानुसार करेगी। शैक्षणिक अर्हता, उम्र, उँचाई, छाती की माप में शिथिलीकरण के लिए विशेष खेल कूद समिति सक्षम प्राधिकार होगी।

14. आरक्षण :– बिहार सरकार द्वारा नियत आरक्षण रोस्टर नीति का अनुपालन किया जायेगा।

आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के निवासियों के लिए ही अनुमान्य है। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। अतिपिछड़ा एवं पिछड़ा श्रेणी में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आय प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में देय 02 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपने आवेदन के साथ संबंधित स्वतंत्रता सेनानी का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र/पेंशन प्रमाण पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी।

15. विशेषाधिकार :– ओलंपिक गेम्स, विश्व चैम्पियनशीप, एशियन गेम्स तथा आई0ओ0सी0 द्वारा अनुमोदित अन्य अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों जैसे प्रख्यात चैम्पियनशिपों में स्वर्ण/रजत या कास्य पदक धारक खिलाड़ियों की नियुक्ति विशेष खेल समिति की अनुशंसा के आधार पर तथा बिहार सरकार के अनुमोदन के उपरांत **यथानियत** मानदंडो को शिथिल करने के बाद किसी भी समय की जा सकेगी।

16. वेतन एवं ग्रेड वेतन :– सिपाही पद के लिए नियत वेतनमान रूपये **21700–69100/–** है।

17. प्रमाण पत्र का सत्यापन :– खेल कोटा के अधीन नियुक्ति में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने मान्यता प्राप्त फेडरेशन द्वारा सम्यक रूप से निर्गत प्रमाण पत्रों की (फार्म–II एवं फार्म–III)जमा करना होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

शैक्षणिक अर्हता एवं अभ्यर्थियों के खेल–कूद में पूर्व उपलब्धियों से संबंधित अनुलग्न प्रमाण–पत्रों का सत्यापन आज्ञापक होगा।

18. स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन :– चयन परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित दवाओं का सेवन गैर कानूनी है। किसी भी उम्मीदवार के द्वारा इस तरह की दवाओं का सेवन करने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

सफल उम्मीदवारों को स्वास्थ्य जाँच एवं पुलिस सत्यापन के बाद ही खेल कोटा के अधीन उस पद पर, जिस पद के लिए वे आवेदन किये है तथा इस सिद्धान्त पर कि चयन परीक्षण में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, नियुक्त किया जायेगा। सफल उम्मीदवारों की सूची पुलिस महानिदेशक को

भेज दी जायेगी, और वे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षकों से पुलिस सत्यापन करवायेंगें।

19. सेवा समाप्ति की शर्ते :–

1. खेल कोटा के अधीन नियुक्ति इसी शर्त पर की जायेगी कि नियुक्त सभी उम्मीदवार नियुक्ति की तिथि से 05 वर्षो तक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में पुलिस स्पोर्ट्स के अंग होंगें, जिसके प्रयोजनार्थ एक बंधपत्र (Bond) देंगे।

2. खिलाड़ी के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष के लिये होगी। दो वर्षो की अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त ही उनकी सेवा नियमित की जायेगी।

3. उन्हें गंभीर रूप से क्षति होने के कारण अयोग्य करने की दशा को छोड़कर नियुक्ति की तिथि से 05 साल के भीतर अगर वे पुलिस खेल–कूद टीम से हटने का निर्णय लेते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

20. इच्छुक पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी बिहार पुलिस स्पोर्टस कोटा पर सिपाही की 100 (एक सौ) रिक्तियों के विरूद्ध प्रतिभा खोज समिति अध्यक्ष –सह– पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस का कार्यालय, बिहार, पटना पंत भवन, चतुर्थ तल्ला, बेली रोड, पटना–800001 द्वारा विस्तृत विज्ञापन के आधार पर आवेदन–पत्र को सही–सही भरेंगें **(मात्र निबंधित डाक से प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे।)** आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक–01.01.2018 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि सहित सभी पात्रता को पूर्ण करते है।

एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर किया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एव पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे अथवा जाली प्रमाण–पत्र समर्पित करेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः ऐसे आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा जाति में हैं।

21. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे।

22. आवेदन–पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक– 28.02.2018 के संध्या 18:00 बजे तक होगी। इसके बाद किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं होगा। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निबंधित डाक से भेजेंगे। लिफाफे के भीतर आवेदन के साथ 23 से0मी0 × 10 से0मी0 आकार के दो लिफाफा पर अपना पता लिखकर तथा उचित **निबंधित डाक–टिकट** के साथ भेजेगें। साथ ही लिफाफे के उपर **खेल–कूद कोटा सिपाही भर्ती–2018** लिखना अनिवार्य होगा।

23. आवेदक अपने आवेदन–पत्र पर तथा आवेदन पत्र की पावती रसीद पर निर्धारित स्थान पर हाल की स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ निश्चित रूप से चिपकायेंगे।

24. त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण भरे हुए आवेदन–पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

25. अभ्यर्थी समय–समय पर इस भर्ती से संबंधित अद्यतन सूचना हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना की **Website: www.biharpolice.bih.nic.in के Recruitment** शीर्ष में देख सकते है।

26. अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन–पत्रों की पावती उनके आवेदन के साथ संलग्न डाक टिकट लगे लिफाफे के द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से भेज दी जायेगी। योग्य आवेदन पत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों को चयन ट्रायल के लिए अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जायेगा, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों के रौल नम्बर सहित सूचना बिहार पुलिस के **Website: www.biharpolice.bih.nic. in के Recruitment** शीर्ष तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।

अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में सजग रहें।

27. आवेदन पत्र भेजने का पता :– **सेवा में, पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस का कार्यालय, पंत भवन, चतुर्थ तल्ला, बेली रोड, पटना–800001**

23/1/18

पुलिस महानिरीक्षक,
बिहार सैन्य पुलिस–सह–अध्यक्ष,
प्रतिभा खोज समिति,
(स्पोर्ट्स कोटा सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना।